<u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—885 / 2008</u> <u>संस्थित दिनांक—26.12.2008</u> फाईलिंग क.234503000512008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

/ / <u>विरूद</u> / /

1— तानसेन पिता धनंजय चौधरी, उम्र—37 वर्ष, निवासी—ग्राम बम्हनी, थाना रेंगाखार, जिला—कबीरधाम (छ.ग.)

2—धर्मेन्द्र कुमार मेरावी पिता बसंत सिंह मेरावी , उम्र—31 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम आगरी, थाना रेंगाखार, जिला—कबीरधाम (छ.ग.)

3—ओमकार सिंह धुर्वे पिता प्रेमसिंह धुर्वे, उम्र—33 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम झलमला, पोस्ट चिल्पी, तहसील बोडला, जिला—कबीरधाम (छ.ग.)

--- <u>अरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-29/07/2016) को घोषित)

- 1— आरोपीगण के विरूद्ध धारा—9, 39, 49बी / 51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—29.10.2008 को मलाजखण्ड—मण्डई रोड, ग्राम चकरवाही के पास बंजर नदी पुल में अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में अनुसूची—1 में दर्ज वन्य प्राणी तेंदुआ के शिकार पश्चात् बिना वैध अनुज्ञप्ति के, विक्रय के उद्देश्य से वन्य प्राणी तेंदुआ का एक चमड़ा अवैध रूप से रखे पाए गए।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मलाजखण्ड में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ अभियोगी इन्द्रमणी पटेल को दिनांक—29.10.2008 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति संरक्षित वन्य प्राणी तेंदुए की खाल अपने पास रखे हुए हैं और खाल का विक्रय करने के लिए बंजर नदी के पास आने वाले हैं। सूचना प्राप्त होने पर बालाघाट से आमदशुदा उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह सिसोदिया, उपनिरीक्षक आनंद चौहान,

उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, आरक्षक आशीष, आरक्षक इमरान तथा थाना के प्रधान आरक्षक सुरेश विजयवार, आरक्षक महेल सिंह, आरक्षक टीकाराम एवं गवाह गोकूल प्रसाद रजक व प्रमोद सिंह उर्फ टिंकू को लेकर वह बंजर नदी के पुल पर पहुंचा, तो शाम 5:20 बजे दो व्यक्ति, जैसा मुखबिर ने हुलिया बताया था, आए, जिन्हें गवाहों तथा हमराह बल की मदद से पकड़ा गया। एक व्यक्ति जिसके हाथ में थैला था, उसने अपना नाम तानसेन पिता धनंजय चौधरी तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार पिता बसंत सिंह मरावी बताया था। आरोपी तानसिंह की तलाशी लेने पर उसके पास से एक खटकेदार रामपुरी चाकू प्राप्त हुआ था और थैले की तलाशी लेने पर उसमें वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल होना प्रतीत होती थी, जप्त की गई। उपरोक्त वस्तुओं को रखने के संबंध में पूछताछ किये जाने पर आरोपीगण द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर ही आरोपीगण के आधिपत्य से तेंदुए की खाल व चाकू गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना लाकर अपराध क्रमांक-102 / 08, अंतर्गत धारा-9, 39, 44, 49ख, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत् पंजीबद्व किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण व साक्षियों के कथन लेखबद्व किये गये, जप्तशुदा सामान रासायनिक परीक्षण हेत् भेजा गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी ओमकार के विषय में पूरक चालान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया।

3— आरोपीगण को धारा—9, 39, 49बी / 51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया गया है, परंतु बचाव में साक्ष्य नहीं दी गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—29.10.2008 को मलाजखण्ड—मण्डई रोड, ग्राम चकरवाही के पास बंजर नदी पुल में अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में अनुसूची—1 में दर्ज वन्य प्राणी तेंदुआ के शिकार पश्चात् बिना वैध अनुज्ञप्ति के, विक्रय के उद्देश्य से वन्य प्राणी तेंदुआ का एक चमड़ा अवैध रूप से रखे पाए गए ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— इन्द्रमणी पटेल (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—29.10.2008 को थाना मलाजखण्ड में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर से सूचना प्रात हुई थी कि दो व्यक्ति अपने कब्जे में तेंदुए की खाल रखे हुए हैं तथा उक्त खाल का सौदा करने के लिए पलहेरा मंडई रोड पर बंजर नदीं के

पुल के पास आने वाले हैं। मुखबिर सूचना पर वह उपनिरीक्षक योगेन्द्रसिंह सिसोदिया, उपनिरीक्षक आनंद चौहान, उपनिरीक्षक संजय दुबे, उपनिरीक्षक रामनरेश यादव तथा आरक्षक आशीष, इमरान खान, थाना मलाजखण्ड के प्रधान आरक्षक सुरेश विजयवार, आरक्षक महलसिंह, आरक्षक टीकाराम और गवाह गोकूलप्रसाद एवं प्रमोद सिंह को साथ लेकर बंजर नदी के पुल के पास पहुंचा। करीब 17:20 बजे दो व्यक्ति मुखबिर के बताये स्थान पर चकरवाही तरफ से पैदल आते दिखे जिन पर संदेह होने के आधार पर उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। एक व्यक्ति ने अपना नाम तानसेन बताया और दूसरे ने अपना नाम धर्मेन्द्र होना बताया। पूछताछ करने पर संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर तानसेन की तलाशी लेने पर एक रामपुरी चाकू ओर उसके बैग की तलाशी लेने पर एक तेंदुआ की खाल मिली थी, जिसे साक्षी गोकुल प्रसाद व प्रमोदसिंह के समक्ष प्रदर्श पी—1 के अनुसार जप्त किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी तानसेन से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 के अनुसार काले नीले रंग का बैग, एक कत्थई लाल सफेद रंग का फटा गमछा भी जप्त किया था।

आरोपी तानसेन और धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर आरोपीगण तानसेन व धर्मेन्द्र के विरुद्ध प्रदर्श पी-9 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया था, जिसके अ से अ, ब से ब एवं स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। आरोपी तानसेन से जप्त खाल को परीक्षण हेतु वन्य प्राणी संरक्षक अनुसंधान संस्थान देहरादून पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से भेजा गया था। विवेचना के दौरान दिनांक—18.02.209 को आरोपी ओमकार सिंह धुर्वे को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रर्दश पी-10 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी तानसेन ने दिनांक-02.11.2008 को मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6 साक्षियों के सामने उसके समक्ष अभिरक्षा में रहते हुए दिया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं आरोपी तथा साक्षियों के भी हस्ताक्षर लिये थे, जिसमें आरोपी तानसेन ने आरोपी ओमकारसिंह से तेंदुए की खाल खरीदने के संबंध में प्रदर्श पी-6 का संपूर्ण कथन दिया था। आरोपी धर्मेन्द्र और तानसेन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं आरोपीगण व साक्षियों के भी हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जो पुलिस बल बालाघाट से कार्यवाही में शामिल होने के लिए आया था उसकी आमद तथा वापसी के संबंध में रोजनामाचा सान्हा की प्रति प्रकरण में संलग्न नहीं की गई है। साक्षी ने यह भी कहा है कि मौके पर आरोपीगण से जप्त सामान उसने हमराही को दिया था, परंतु उसे उसका नाम याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण के पास से तेंदुए की खाल जप्त नहीं हुई थी और उसने आरोपीगण के विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था।

संजय दुबे (अ.सा.६) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह 7— दिनांक-29.10.2008 को थाना वारासिवनी में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि थाना मलाजखण्ड के ग्राम चकरवाही बंजर नदी के पास दो व्यक्ति तेंदुआ वन्य प्राणी की खाल का सौदा करने के लिए शाम को आने वाले हैं। सूचना मिलने पर उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया तथा आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर अन्य उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, आनंद चौहान, योगेन्द्र सिसोदिया, आरक्षक आशीष तथा आरक्षक इमरान के साथ थाना मलाजखण्ड आमद दी गई थी तथा थाना प्रभरी मलाजखण्ड उपनिरीक्षक इन्द्रमणी पटेल को भी इस सूचना से अवगत कराया गया था। इसके पश्चात् हमराह बल और स्वतंत्र साक्षियों को साथ लेकर मंडई तरफ बंजर नदी के पास पुलिस बल को साथ लेकर घेराबंदी कर पकड़ा था। पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम तानसेन एवं धर्मेन्द्र होना बताया था। मौके पर साक्षियों के समक्ष आरोपी तानसेन की तलाशी लेने पर उसकी कमर की बायी तरफ पैंट के अंदर एक चाकू तथा एक बैग में गमछे के अंदर संदिग्ध वन्य प्राणी की खाल, जिसे थाना प्रभारी इन्द्रमणी पटेल द्वारा जप्त किया जाकर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। उसने इस संबंध में अपने बयान दिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना दिनांक को वह वारासिवनी में पदस्थ था। साक्षी ने कहा है कि उसे यह बात याद नहीं है कि कार्यवाही के बाद वह थाने से रवाना हुआ था, तो इसका इन्द्राज रोजनामचा सान्हा में किया था या नहीं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण के विरूद्ध झूठी जप्ती की कार्यवाही की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि बालााघाट से रवाना होने के संबंध में सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसकी समक्ष कोई कार्यवाही नही की गई। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 पुलिस को लेख कराने से इंकार किया है।

8— प्रमोद सिंह (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। आरोपीगण से क्या जप्त हुआ था इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपीगण से तेंदुए की खाल जप्त नहीं की गई थी। उसने प्रदर्श पी—1, 2, 3 पर पुलिस ने थाना मलाजखण्ड में हस्ताक्षर किये थे और पुलिस ने उसे दस्तावेज पढ़कर नहीं बताए थे। वह बैहर रोड नदी किनारे नहीं गया था और न ही उसने आरोपीगण को मौके पर देखा था। उसने पुलिस को बयान लेख नहीं कराए थे। साक्षी ने

इस बात से इंकार किया कि पुलिस ने उसे बताया था कि आरोपी चमड़ा बेचने वाले है, इसलिए वह मौके पर साथ गया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी तानसिंह की तलाशी लेने पर उसके पास चाकू, शेर का चमड़ा, गमछा मिला था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी—5 पुलिस को लेख नहीं कराया जाना व्यक्त किया।

9— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी शिवप्रसाद (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसने आरोपीगण को पहले कभी नहीं देखा। उसके सामने आरोपी तानसेन ने इस प्रकार का बयान नहीं दिया था कि उसने किसी ओमकार नाम के व्यक्ति से 40 हजार रूपये में तेंदुए की खाल खरीदी है और उसे 5 हजार रूपये दे दिये हैं और शेष राशि उसे देना है, इसी बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—6 के अ से अ भाग पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसने पुलिस को अपना बयान नहीं लेख करवाया था और न ही आरोपी तानसेन से उसके समक्ष मेमोरेण्डम लेख करवाया था।

10— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अवधराम (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसके सामने आरोपी तानिसंह ने यह नहीं बताया था कि उसने किसी ओमकार नाम के व्यक्ति से तेंदुए की खाल 40 हजार रूपये में खरीदी थी, जिसके 5,000/—रूपये उसने दिये थे व शेष राशि खाल बेचने के बाद देने वाली बात बताई थी। साक्षी ने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—6 पर अपने हस्ताक्षर थाने पर किया जाना बताया है। साक्षी ने कहा है कि प्रधान आरक्षक सुरेश विजयवार ने धमकी देकर प्रदर्श पी—6 में उसके हस्ताक्षर करवाये थे, जो उसने डर के कारण किये थे।

11— सुरेश विजयवार (अ.सा.८) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—29.10.2008 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी मलाजाण्ड के इंद्रमणि पटेल के साथ हमराह तनौर नदी के पुल के पास चकरवाही रोड पर गया था। सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति तेंदुआ का चमड़ा बेचने के लिये आने वाले हैं। सूचना मिलने के आधा घंटे बाद घेराबंदी कर 2 व्यक्ति को उक्त स्थल पर पकड़ा गया था। आरोपी तानसेन के पास से काले नीले रंग के बैग में फटे गमछे के अंदर तेंदुआ की खाल मिली थी तथा आरोपी धर्मेन्द्र आरोपी तानसेन के साथ था। आरोपी तानसेन के पास एक चाकू भी मिला था। आरोपीगण के पास कोई दस्तावेज तेंदुए की खाल के संबंध में नहीं था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना दिनांक—29.10.2008 की है। साक्षी ने यह भी कहा है कि जब पुलिस बल छापा मारने गई थी तब गवाह गोकुल एव प्रमोद थाने से ही उसके साथ गए थे।

12— हेमेन्द्र कुमार क्षीरसागर (अ.सा.१) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी तानसिंह उसका मामा लगता है। उसे आरोपी तानसिंह ने किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी थी। पुलिस ने उसका बयान थाना बिरसा में लेख किया था और अपने बयान में कोई भी जानकारी नहीं होना बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी तानसिंह ने उसे बताया था कि उसने ग्राम झलमला के ओमकार से एक तेंदुए की खाल 40 हजार रूपये में खरीदा था तथा 5 हजार रूपये दिया था और शेष राशि 35 हजार रूपये खाल बेचने के बाद देगा। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी—10 पुलिस को नहीं लेख कराया था।

अभियोजन कहानी पर विचार किया जावे तो मुखबिर की सूचना के आधार 13-पर आरोपीगण के विरूद्ध छापा मारने की कार्यवाही पुलिस बल द्वारा की गई। बालाघाट से विशेष पुलिस बल की आमद होना विवेचक अभियोजन इन्द्रमणी पटेल (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में की है। इस बल की आमद के विषय में रोजनामचा सान्हा की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नही की गई है। साक्षी संजय दुबे (अ.सा.६), आनंद चौहान (अ.सा.५) जो पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे उनके द्वारा भी अपने कार्यक्षेत्र से घटना के लिए कार्यवाही में सम्मिलित होने के विषय में संबंधित थाने की रोजनामाचा सान्हा की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है। जप्तशुदा सामग्री तेंदुए की खाल एवं चाकू मौके पर सील किये गए हों और अन्य जप्तशुदा वस्तु को सीलबंद किया जाने पर उस पर स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गए हों, यह बात विवेचक ने अपने मुख्यपरीक्षण में प्रकट नहीं की है। जप्तशुदा तेंदुए की खाल तथा रामपुरी चाकू को न्यायालय के समक्ष बुलाया जाकर उस पर आर्टिकल अंकित नहीं कराया गया है। यद्यपि अभियोजन द्वारा जप्तशुदा खाल के तेंदुए की खाल होने के विषय में प्रदर्श पी-11 की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रयोगशाला देहरादून को जो सैम्पल भेजा गया था वह तेंदुए की खाल होना प्रमाणित किया गया है। वस्तुतः अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना है कि प्रदर्श पी-11 की प्रयोगशाला रिपोर्ट जो अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, वह खाल आरोपीगण के आधिपत्य से घटना दिनांक को जप्त की गई थी। इसके लिए जप्ती की कार्यवाही को दुषित नहीं होना व प्रक्रियात्मक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में साक्षी इन्द्रमणी पटेल (अ.सा.1) का कहना है कि उसने जप्ती की कोई कार्यवाही मौके पर गवाहों के सामने की थी। साक्षी प्रमोद सिंह (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि उसने प्रदर्श पी-1, 2, 3 पर पुलिस वालों के कहने पर थाना मलाजखण्ड में हस्ताक्षर किये थे। वह माकै पर नहीं गया था। साक्षी शिवप्रसाद (अ.सा.3) तथा साक्षी अवधराम (अ.सा.4) ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6 पर अपने हस्ताक्षर

होना स्वीकार किया है, परंतु यह कहा है कि उन्होंने प्रधान आरक्षक सुरेश विजयवार के कहने पर और पुलिस के डर के कारण हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने प्रदर्श पी—6 को पढ़कर नहीं देखा था और न ही उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी है। इस प्रकार मेमोरेण्डम की कार्यवाही प्रदर्श पी—6 स्वतंत्र साक्षियों से समर्थित नहीं है। मौके से आरोपीगण से एक चाकू जप्त होने का उल्लेख प्रदर्श पी—1 में है एवं जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 का अवलोकन किया जावे तो उसमें भी रामपुरी चाकू को जप्त किया जाना दर्शित है, परंतु यह चाकू न्यायालय के समक्ष नही बुलाया गया है और न ही उस पर आर्टिकल अंकित कराया गया। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—6 आरोपी तानसिंह द्वारा लेख कराया गया है, जिसमें उसने तेंदुए की खाल 40 हजार रूपये में खरीदने का कथन आरोपी ओमकार से किया जाना बताया गया है, परंतु उपरोक्त मेमरोण्डम के स्वतंत्र साक्षी शिवप्रसाद (अ.सा.3) व अवधराम (अ.सा.4) ने इस कार्यवाही को अपने सामने नही होने अपने न्यायालयीन परीक्षण में की है। अभियोजन कहानी का किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने किसी भी बिन्दु पर समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थित में यह घटना संदेहास्पद प्रकट होती है। आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतएव आरोपीगण को धारा—9, 39, 49बी / 51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

14— मामले में आरोपी तानसेन व आरोपी धर्मेन्द्र दिनांक—03.11.2008 से दिनांक—13. 03.2009 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहें है एवं आरोपी ओमकार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। जिसके संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

15— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

16— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वन्य प्राणी तेंदुए की खाल वन विभाग को अपील अविध पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु सौंपी जावे तथा जप्तशुदा चाकू मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

बैहर, दिनांक—29.07.2016 मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही / –

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट